

न्यायालय अपर सिविल अ०ख० / न्या० मजि०, खुर्जा बुलन्दशहर
जमानत प्रार्थना पत्र सं० 771/2022
प्रवेश बनाम कुवंरदीप
परिवाद सं०— 19/2020
धारा— 138 एन० आई० एक्ट
थाना— पहासू
जिला— बुलन्दशहर ।

दिनांक: 11.10.2022

आदेश

परिवाद सं०— 19/2020, प्रवेश बनाम कुवंरदीप गौड, धारा 138 एन० आई० एक्ट थाना पहासू जिला बुलन्दशहर के मामले में अभियुक्त कुवंरदीप गौड की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना पत्रावली का अवलोकन किया । अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है ।

अभियुक्त के अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है । उसे झूठा फंसाया गया है उसने कोई अपराध नहीं किया है जमानत की याचना की गई ।

मामले के गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना व मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में अभियुक्त कुवंरदीप गौड जमानत पर छोड़े जाने का पर्याप्त आधार हैं अभियुक्त कुवंरदीप गौड को उसके द्वारा मु० 20,000 / (बीस हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि की दो जमानते दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए ।

(आकांशा बंसल)
सिविल जज (जू०डि०)
खुर्जा, बुलन्दशहर